BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 272 OF 2024

IN THE MATTER OF:

DEEPANK KUMAR SHARMA & ORS. ......APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ....RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGES	C-FEES
1.	Additional Affidavit filed by the respondent no.10 in respect of clarification of the Hon'ble Tribunal.	1-4	
2.	Copy of order dt. 29/09/2025 letter no. 1372.	5-	
3.	Copy of report dt. 18/05/2024 given by Lekhpal.	6-9	
4.	Copy of report dt. 01/08/2024.	10-12	
5.	Copy of letter dt. 20/11/2025 given by advocate Bhanwar Pal Singh Zadon.	13-14	

DELHI
DATE 27.11.25

THROUGH ADVOCATE

AKHILESH KUMAR SINGH,
ADVOACTE
CH. NO. 605, ROHINI
COURTS, DELHI

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 272 OF 2024

IN THE MATTER OF:

DEEPANK KUMAR SHARMA & ORS. ……APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ….RESPONDENTS

ADDITIONAL AFFIDAVIT

I, DINESH KUMAR SHARMA S/O LATE. SHRI. DEV SHARMA MISHRA AGED ABOUT 67 YEARS R/O 1859/1, MANDI RAILWAY ROAD, NEAR SARVODAYA INTER COLLEGE, RAILWAY ROAD, PILAKHUWA, TEHSIL HAPUR (UP). presently at New Delhi, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That the deponent is Respondent no 10 in the above petition and well conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear this affidavit which is prepared by my council under my instructions. The contents of the present affidavit are being understood by the deponent.

2

2. That the deponent was owner of the Khasra No. 2119, 2120, 2121, 2122,2123,2124,2125,2126,2127 and 2128 out of which the Khasra No. 2120,2121,2122,2125,2126 and 2127 have been sold by the deponent to any Mohd. Islam Rasheed S/o Abdul Rasheed on 29/01/2024 through Sale Deed dt. 29/01/2024 the stamp purchased on 28/01/2024 regarding which the Sale Deed dt. 29/01/2024 executed by the deponent which copy is already filed and available on the record of this Hon'ble Tribunal.

3. That prior to file the present O.A the deponent has not cut any Tree in his Khasra No(s). The applicants filed the present O.A. to the deponent misleading the Hon'ble Tribunal. The deponent never tried to cut any tree in till his land ownership.

4. That the deponent i.e. respondent no.10 has no concern with the cutting of any Trees as the applicants claimed. The applicants are having enmity with the deponent due to which the applicants are complaining falsely against the deponent and his brother i.e. respondent no.8 and cousin brother i.e. respondent no.9 purposely with bad intentions.

NOTARY
Attested
VIJAY KUMAR
Advocate
Distt. Meerut
Reg. No. 19616
GOVT OF INDIA

3

5. That the deponent states that not a single tree has been cut in the Bagh of the deponent although all Bagh previously owned by the deponent are sold to Mohd. Islaam now.

6. That the deponent states that he had already filed the reply to the O.A. just after serving the copy of reply to the applicant's Counsel which was not succeeded but the reference no. was issued but today after successful filling it is not showing on the portal or in the Id. of the Counsel. That the deponent states that the deponent never cut any tree during his ownership in his Bagh/Garden in Khasra No. 2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127 and 2128.

7. That the deponent states that the applicants are harassing the deponent by giving false complaint and application to the authorities and now again the applicants have sent a letter dt. 20/11/2025 to AIG STAMP, BIJNOR UP with bad intentions through his advocate. The purpose of the applicant's is only to torture the deponent by filling false and fabricated cases against him and his related.

DEPONENT

4

Verification:

Verified at Delhi on this 26th day of November, 2025 that the contents of the above affidavit from para no. 1 to 7 are true and correct and nothing has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
GOVT OF INDIA
Attested
VIJAY KUMAR
Advocate
Distt. Meerut
Reg. No. 3516

Certified that Shri Denesh Kumar Sharma
Resident 1859/1 Mohalla Railway Road
Hapur
U.P.
document ... before me..........
Attested by
26-11-2025

(5) R-10

महोदय,

संलग्न पत्र कार्यालय आयुक्त, मुरादबाद मण्डल मुरादाबाद के पत्र संख्या 319 / पी0ए0 दिनांक 02.01.2024 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को प्रेषित पत्र में प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा निवासी मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर हाल निवासी पिलखुवा जनपद गाजियाबाद के द्वारा राजस्व ग्राम मण्डावर के खाता संख्या 326 के खसरा संख्या 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127 व 2128 में निजी सम्पत्ति में बाग लगा हुआ है। आम बाग की शाखऐं अत्याधिक जटिल व बडी होकर एक दूसरे वृक्षो से मिल चुकी है जिसके कारण वृक्षो एवं भूमि को सूर्य की उष्मा पर्याप्त माात्रा में नही मिलने के कारण आम के वृक्षो में संक्रमण फैल रहा है एवं अन्य खेती जैसे गेंहू ,ज्वार, बाजरा आदि भी नही उगा पाने के कारण उनके द्वारा आम के वृक्षो की शाखओ की छटाई / तरासी कराये जाने की अनुमति मांगने का अनुरोध किया गया है । यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा सम्बधित जिला स्तरीय अधिकारियासे का इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिये जाचुके है, जिन पर कार्यवाही आपेक्षित है

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थलीय एवं राजस्व अभिलेखो का निरीक्षण किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी राजस्व ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर के राजस्व अभिलेख षठ्वार्षिक खतौनी फसली सन 1426–1431 (01 जुलाई 2018 से 30 जून 2024 तक) के भाग संख्या 1 खाता संख्या 326 के खसरा संख्या 2119 रकबई 0.0890 है0, 2120 रकबई 0.1520है0, 2121 रकबई 0.1140है0, 2122 रकबई 0.2910है0, 2123 रकबई 0.2210है0, 2124 रकबई 0.1260है0, 2125 रकबई 0.1770है0, 2126 रकबई 0.2020है0, 2127 रकबई 0.1010है0 व 2128 रकबई 0.1140है0, कुल 10 खेत कूल रकबई 1.5870है0 श्रेणी 1–क पर दिनेश कुमार शर्मा पुत्र डा0 देव शर्मा निवासी मण्डावर हाल निवासी पिलखुआ गाजियाबाद के नाम अंकित अभिलेख है। राजस्व अभिलेखो में उक्त आराजी में आम बाग दर्ज है।

उक्त आराजी चकबन्दी या सीलिग से प्रभवित नही है। उक्त आरजी में मौके पर आम के पुराने 68 वृक्ष, अमरूद के 14 वृक्ष, शागौन के 05 वृक्ष तथा शीशम का 01 वृक्ष खडे हुए हैं। मौके पर वृक्षो का निरीक्षण किया गया। आम के वृक्षो का औसतन व्यास 110 से0मी0 है व सम्भवित आयु लगभग 70–75 वर्ष है। अधिकतर वृक्षो की शाखाए चारो तरफ फैली हुई है। वृक्ष रोगग्रस्त भी प्रतीत हो रहें है। तथा उन पर फल भी बहुत कम आया है मण्डावर करबा वासियो से जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि यह बाग बहुत पुराना है और अब इस पर बहुत कम फल आता है। उक्त आराजी विवादित नही है। आवेदक का इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है। अतः उक्त वृक्षो की शाखाओ का पातन कराया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। मौके के फोटो संलग्न कर आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

प्रमोद कुमार
लेखपाल
तहसील-बिजनौर
18/01/2024

T+L

Janch file

R-10

वन विभाग (उ0 प्र0 सरकार)
Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)

वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2488/14-5-2002-7/93 दिनांक 28/12/2002)
(अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, 3474008 संख्या दिनांक 29/09/2025

सेवा में,

		क्षेत्र:	ग्रामीण		
श्री/श्रीमती/कुमारी :	Mohammad Islam Rashid	पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री:	Abdul Rashid	ज़िला:	बिजनौर
तहसील:	NAGEENA	परगना:	नगीना	थाना:	Nagina
डाक:	Khas	ग्राम सभा:	Mohalla Sarai Meer Nagina	गांव:	Mohalla Sarai Meer Nagina

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1 9 7 6 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 30/08/2025 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी. में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.)	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण
1	आम	210	दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	210	रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
2	आम	250	दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	250	रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
3	आम	255	दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	255	रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
4	आम	260	दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	260	रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
5	आम	260	दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	260	रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी

(7)

R-10

वन विभाग (उ० प्र० सरकार)
Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)

6 आम	270 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	270 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
7 आम	270 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	270 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
8 आम	275 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	275 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
9 आम	280 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	280 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
10 आम	280 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	280 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
11 आम	280 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	280 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
12 आम	280 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	280 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
13 आम	280 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	280 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता मे भरपूर कमी
14 आम	285 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	285 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
15 आम	290 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	290 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
16 आम	295 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	295 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
17 आम	295 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	295 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी

सत्य

1040 (8) R-10

वन विभाग (उ0 प्र0 सरकार)

Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)

18 आम	295 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	295 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
19 आम	305 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	305 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
20 आम	310 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	310 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
21 आम	310 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	310 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
22 आम	310 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	310 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
23 आम	325 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	325 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
24 आम	330 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	330 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
25 आम	330 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	330 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी
26 आम	342 दोदरदागी, रोगग्रस्त एवं फलदायी क्षमता में गिरावट	342 रोगग्रस्त फलदाई क्षमता में भरपूर कमी

एन एस सी संख्या:	020176552538 date 29.09.2025	डाकघर का नाम :	bijnor	राशि :	26000.00

उपयुक्त वृक्ष श्रीMohammad Islam Rashid पुत्र श्री Abdul Rashid के नाम से अभिलिखित प्लाट संख्या 2120-22, 2125-27 रकबा 1.037 जिला बिजनौर तहसील BIJNOR परगना मंडावर ग्राम सभा Mandawar थाना Mandawar गांव Mandawar डाक Khas में स्थित है।

1. आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पोधे रोपित करने और उनकी पश्चातवर्ती देख -रेख के लिए डाक घर बचत पास बुक / राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पौधे 1 0 0 0/- रु० सक्षम प्राधिकारी को पदनाम से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पौधो की स्थापना पर छ : वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जाएगी । कटान अवधि में कटान स्थल पर उपस्थित मुहर्रिर का दैनिक पारिश्रमिक

(9) R-10

वन विभाग (उ0 प्र0 सरकार)
Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)

2. जिस दिन से कटान शुरू होगी , अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारंभ करने से पूर्व सम्बंधित वन क्षेत्राधिकारी जिस तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेगा ताकि शासनादेश संख्या ४३४ के प्रस्तार दिए गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके |

3. सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करा के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तग करायें एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें |

4. अनुमति शुल्क की राशि 100 रुपया प्रति वृक्ष रेंज कार्यालय में जमा कराये ।

5. इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बंधित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते है, जो कि शासनादेश संख्या 434/14-5-2013 दिनांक 11/03/2013 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे |

6. यह पातन अनुज्ञा पत्र दिनांक 01/10/2025से15/10/2025 तक विधिमान्य होगा ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी,बिजनौर

संख्या. 3474008 दिनांक: 29/09/2025 पत्रांक : 1372

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित ।

. उप प्रभागीय वनाधिकारी /बिजनौर

. वन क्षेत्राधिकारी बिजनौर ...जिला बिजनौर

. थानाध्यक्ष Mandawar जिला बिजनौर

. उपजिलाधिकारी BIJNOR....जिला बिजनौर

प्रभारी सुरक्षा बल बिजनौर...जिला बिजनौर

Akai

प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर(सावा) वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

T+L

(10) सलंग्नक-3 R-10

8

महोदय

आज दिनांक 01.08.2024 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी बिजनौर के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम [illegible] की मौके पर पहुंच कर स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम [illegible] गाटा संख्या 3119 रकबई 0.054 है, गाटा संख्या 3120 रकबई 0.152 है, गाटा संख्या 3121 रकबई 0.1140 है, गाटा संख्या 3122 रकबई 0.231 है, गाटा संख्या 3123 रकबई 0.281 है, गाटा संख्या 3124 रकबई 0.126 है गाटा संख्या 3125 रकबई 0.177 है गाटा संख्या 3126 रकबई 0.202 है। गाटा संख्या 3127 रकबई 0.101 है व गाटा संख्या 3128 रकबई 0.114 है। कुल 10 खेत कुल रकबई 1.5830 है जो कि श्री 1-क विनेश कुमार शर्मा पुत्र डी. देव शर्मा निवासी [illegible] गाजियाबाद के नाम अंकित अभिलेख है को मौके पर जांच की गई जिसके सम्बन्ध में जांच आख्या निम्न प्रकार है।

उपरोक्त आराजी कुल 10 खेत कुल रकबई 1.5070 है मे वर्तमान में आम के पुराने पेड़ [illegible] वृक्ष अमरूद के 14 वृक्ष, शीशम के 05 वृक्ष तथा [illegible] का 01 वृक्ष खड़े हुए हैं। (मौके के फोटो संलग्न है)

उक्त वाद के सम्बन्ध में कार्यालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के पत्र संख्या 319/सी.ए. दिनांक 02.01.2024 के द्वारा जांच के सम्बन्ध में पालन की स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई आख्या की प्रति सत्यापित करके संलग्न साक्ष्य सहित आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

01.08.2024
लेखपाल [illegible]

01.08.2024
R.D. [illegible]
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज-बिजनौर

(मदनपाल सिंह)
मदनपाल सिंह
वन दरोगा
सी०प्र० बिजनौर

Scanned with OKEN Scanner

(11)

महोदय,

आज दिनांक 1/8/2024 को प्रभारी निदेशक वन विभाग सामाजिक वानिकी बिजनौर के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम मे राजस्व व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा राजस्व भाग मंडावर स्थिति खसरा नंबर 2119,rakbai 0,.895,bhag संख्या 2120areo.152 hect,2131 area.1140 hect,bhag भाग संख्या 2122 rskbai 0.291 भाग संख्या 2123 rakbai.221 hect भाग संख्या 2124 rakbai 0.126 hect भाग संख्या 2125 rakbai 0.177 गया संख्या 2126 rakbai 0.202 hect gata संख्या 2127 rakbai 0.101 hect व gata संख्या 2128 rakbai 0.114 hect कुल 10 खेत rakbai 1.5870 है जो कि श्रेणी 1 क पर दीनेश कुमार शर्मा पुत डॉ देव शर्मा निवासी मंडावर हाल निवासी पिलखुवा गाजियाबाद के नाम अंकित हअभिलेख है की मौके पर जांच की गई जिसके सम्बन्ध में जांच आख्या निम्न प्रकार है

उपरोक्त आराजी कुल 10 खेत कुल rakbai 1.587है ए वर्तमान में आम के पुराने पेड़ 68 वृक्षअमरूद के 14 वृक्ष, सागौन के 5 वृक्ष तथा शीशम के 1 वृक्ष खड़े हैं। मौके के फोटो सलग्न है।

उक्त बाग के संबंध मे कार्यालय आयुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के पत्र संख्या 319/ वी ए दिनांक 2/01/2024 के द्वारा जांच के संबंध पतन की की स्वीकृत हेतु प्रेषित की गई आख्या की प्रति sakhya के रूप मे सलग्न है। आख्या सादर सेवा में प्रेषित है ।

लेखपाल

क्षेत्रीय बन अधिकारी।

मदन पाल सिंह

वन दारोगा

12

Sir

Today on 1st August 2024 ine regard of prabhari nideshak Van vibhag karyalay Adhikari Bijnor order the report of combined team of revenue and forest department in respect of khasra number 2119 area 0.0 898, gata number 2120 area 0.152 hectare, gata number 2121 area 0.148 hectare, gata number 2122 area 0.291 hectare, ghata number 2123 area 0.221 hectare, gata number 2124 area 0.128 hectare, gata number 2125 area 0.177 hectare, gata number 2126 area 0.202 hectare gata number 2127 area 0.101 hectare and gata number 2128 area 0.14 hectare total 10 farms total area 1.5870 hectare which is under series 1A Dinesh Kumar Sharma son of Dr Dev Sharma resident of mandawar current address verified on the spot in which relation

The evapsed area total 10 arms total area 1.5870 is having presently 68 old trees of mango 14 of guava 5 trees of sagon and 13 of season. Photographs of the site are given.

In above seat respect the later of karyalay of commissioner Moradabad Mandal Moradabad later number 319/ Pa dated second January 2024 the report in respect of substance of cut of tree is attached as evidence the report is produced.

Lekhpal.

Regional forest officer Bijnor.

Madan pal Singh Van daroga Bijnor

T&C

2

R-10

18

Date: 20.11.2025

To,

A.I.G. Stamp,

Bijnor, Uttar Pradesh

Subject: Request for Circle Rates – Deepank Sharma vs. State of U.P. (NGT Matter).

Sir,

A matter, *Deepank Sharma vs. State of Uttar Pradesh*, is presently pending before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi. The Tribunal has concluded the hearing of the parties and reserved its order. During the course of proceedings, the Tribunal has sought specific information regarding the applicable circle rates of two mango baghs/gardens located in District Bijnor.

The first property is situated on Bijnor–Mandawar Road, admeasuring approximately 1.587 hectares, falling in Khasra Nos. 21119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127 and 2128, with respective rakba measurements of 0.0890, 1.1520, 0.1140, 0.2910, 0.2210, 0.1260, 0.1170, 0.2020, 0.1010 and 0.1140 hectares.

The second property is situated on Mandawar–Chandak Road, Bijnor, measuring approximately 2.3420 hectares, falling in Khasra Nos. 1083, 1084, 1089, 1090,

(12P)

1093 and 1094, with corresponding rakba measurements of 0.7970, 0.1260, 0.3410, 0.2280, 0.6860 and 0.1640 hectares.

You are kindly requested to provide the relevant prevailing circle rates for the above-mentioned khasra numbers, at the earliest, so that compliance may be ensured in accordance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

Kind Regards,

Advocate Bhanwar Pal Singh Jadon,

Standing Counsel,
State of Uttar Pradesh
National Green Tribunal, New Delhi
Email- bhanwar09jadon@gmail.com